न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–पंचम (एच०जे०एस०)
JO Code NO- UP-6155
CNR N0-UPME010087312026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–2979/2026
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2409/2026

1. सलमान पुत्र सगीर मवी
2. शहजाद पुत्र सगीर .....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन ।

मु०अ०सं० 318 सन् 2026
धारा –109(1),191(2),115(2),351(3)बी०एन०एस०
थाना – लोहियानगर , जिला मेरठ

17.06.2026

1– पुलिस थाना लोहियानगर जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 318 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1),191(2),115(2),351(3)बी०एन०एस०में वांछित अभियुक्तगण सलमान पुत्र सगीर मवी एवं शहजाद पुत्र सगीर निासीगण गली नं0–36, फतेहउल्लापुर थाना लोहियानगर जिला मेरठ की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थनी नसीम पत्नी रहीस के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 21.5.2026 को समय करीब रात 9 बजे मेरे पडोस में रहने वाले शहनवाज, सलमान, शहजाद, फरमान मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरे पति के साथ में जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट की है जान से मारने की धमकी देकर गये हैं। इनके साथ भी कुछ अज्ञात व्यक्ति थे । मेरे पति के शरीर पर जगह–जगह फैक्चर है वह प्यारेलाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 21.5.2026 का होना बताया है तथा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.5.2026 को एक दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया ह। कथित घटना स्थल अली बाग कालोनी का होना बताया है जो कि एक घनी आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र है लेकिन घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित घटना में आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व में किसी केस में सजायाफ्ता नहीं हैं। संबंधित पुलिस अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना चाहती है जिससे उनको अपर्णीय क्षति और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को क्षति पहुंचाने तथा अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। अग्रिम जमानत प्राप्त होने पर अभियुक्तगण के न्यायालय के सीमा क्षेत्र को छोडकर जाने और विवेचना में बाधा डालने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेंगे तथा गवाहान को किसीभी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। अभियुक्तगण न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते

हुये उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व पुलिस अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

6— उल्लेखनीय है कि इस मामले में वादनी मुकदमा नसीम के द्वारा 4 नामजद अभियुक्तगण व एक अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि दिनांक 21.5.2026 को समय करीब रात 9 बजे उसके पडोस के शहनवाज, सलमान, शहजाद, फरमान उसके घर के दरवाजे पर आकर मेरे पति के साथ में जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट की है जान से मारने की धमकी देकर चले गये । इस संबन्ध में वादनी/साक्षी श्रीमती नसीम के बयान जो केस डायरी में अंकित है, का अवलोकन करें तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.5.2026 को दिन के समय उसके पति व सलमान के लडके को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। जिसके बाद उसी दिन रात्रि में करीब 10 बजे मरे पति रहीस सलमान के घर उसको समझाने गये थे परन्तु वो लोग पहले से लाठी डन्डे व धारदार हथियार से लैस होकर तैयार थे जब मेरे पति ने समझाने की कोशिश की तो सलमान, शहजाद, शहनवाज व फरमान पुत्रगण सगीर व इनके द्वारा बुलाये गये व्यक्ति पहले से तैयार ने मेरे पति पर जान से मारने की नीयत से लाठी डन्डे व धारदार हथियारों से हमला किया जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें अस्ताल में भर्ती कराया गया ।

घटना स्थल के पास लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे का अवलोकन कर उसका उल्लेख भी विवेचक द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्तगण द्वारा लाठी डन्डों व लकडी की खपंची से रहीस के सिर पर वार किया जाना दर्शाया गया है। मजरूब रहीस का बयान भी केस डायरी के पर्चा संख्या 2 में अंकित किया गया है जिसमें उसने बताया कि सलमान ने अपने तीनो भाई शहजाद, फरमान व शाहनवाज एवं शहनवाज का लडका तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति बुला लिये जिन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर आकर लाठी डन्डों से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया इनमें से एक व्यक्ति ने हाथ में लकडी की खपंची थी जिसने खडी खपंची मेरे सिर में मारी तभी मैंने अपना हाथ लगा लिया जिससे मेरे हाथ व नाक में चोट लगी तथा मेरी नाक की हड्डी टूट गयी। इसी अनुक्रम में चिकित्सक श्री हरसल सिंह परिहार के बयान का अवलोकन करें तो उनके द्वारा कथन किया गया कि रहीस के कुल चार चोट थी जिनमें से दो चोट बांयी भुजा पर तथा दो चोट नाक पर थी नाक की चोट की वजह से मरीज को कीप अन्डर ओब्जरवेशन रखा गया था जिसके बाद मरीज की नाक से खून बन्द न होने के कारण उक्त मरीज का एलएलआरएम मेडिकल कालेज को रेफर कर दिया था। यह उल्लेखनीय है कि थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत अभियुक्तगण में अभियुक्त शहजाद का 6 केसों का आपराधिक इतिहास एवं अभियुक्त सलमान का एक केस का पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है। प्रश्नगत अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास एवं उनके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादनी के पति रहीस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट किये जाने व नाक की हड्डी तोडने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त घटना पूर्णतया काल्पनिक है ।

धारा 438 द.प्र.सं./482 बी.एन.एस.एस. में यह उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातों पर विचार किया जायेगा।

1. अभियोग की प्रकति और गम्भीरता।

2. आवेदक का पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले से कारावास भुगत चुका है।

3. न्यायालय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता ।

4. जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

यह विधिक सिद्धान्त है कि अग्रिम जमानत को विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लिखाया गया है। वर्तमान में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उसके आलोक में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सलमान पुत्र सगीर मवी एवं शहजाद पुत्र सगीर की ओर से मु०अ०सं० 318 सन् 2026 धारा –109(1),191(2),115(2),351(3)बी०एन०एस० थाना –लोहियानगर , जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 17.06.2026

(राकेश कुमार–पेंचम)
प्रभारी–सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

Rajpal Singh (P.A.)